संख्या-17/X-2-2008-12(39)/2005

प्रेषक,

सुब्रत विश्वास
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 22 जनवरी, 2008

विषय:- **वन विभाग के अनुदान संख्या-27 आयोजनेत्तर पक्ष में वर्ष 2007-08 की वित्तीय स्वीकृति.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-नि.841/3-9 दि0 22 दिसम्बर, 2007, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष की योजना सामान्य अधिष्ठान की मानक मद सामग्री ओर सम्पूर्ति के अन्तर्गत रू0 35,00,000/- (रू0 पैंतीस लाख मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू कार्यो पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वियन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-255/XXVII(1)/2007, दिनांक 26 मार्च, 2007 तथा पत्र संख्या-599/XXVII(1)/2007, दिनांक 12 जुलाई, 2007, द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति /यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाये. सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर), श्रेणीवार पदो का विवरण तथा अन्य सूचनायें एवं विवरण समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग -1 (लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
2. योजना की उक्त मद पर व्यय वर्दी हेतु विभाग में पूर्व **निर्धारित व्यवस्था** के अन्तर्गत शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
3. शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में विभिन्न नियमों तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाय.
4. क्षेत्र की योजनाओं के सापेक्ष आवंटन अपने स्तर से किया जाय.
5. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
7. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

2. उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-सामान्य अधिष्ठान की मानक मद 31-सामग्री और सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा.

क्रमशः..........2

3. ये आदेश वित्त विभाग की अ0शा0पत्र संख्या-303(एन.पी.)/वित्त अनु0-4/2007, दिनांक 17 जनवरी, 2008 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय,

(सुब्रत विश्वास)
सचिव

संख्या-17(1)/X-2-2008, तद्दिनांकत.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. निजी सचिव, मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
11. समस्त कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
13. गार्ड फाईल (जे).

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव